भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 525

23 जुलाई, 2025 के लिए प्रश्न

सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुधार

525. श्री बालाशौरी वल्लभनेनीः

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) सुधारों के अंतर्गत सभी राशन कार्डों के डेटाबेस का डिजिटलीकरण कर दिया गया है और 90 प्रतिशत से अधिक उचित मूल्य की दुकानों को ई-पॉइंट ऑफ सेल उपकरणों से स्वचालित कर दिया गया है;

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम, निजी गोदामों और राज्य एजेंसियों के अधीन गोदामों की भंडारण क्षमता, खाद्यान्नों के भंडारण, भंडारण क्षमता अंतराल आकलन को डिजिटल बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने यह पाया है कि खाद्यान्नों के मैन्युअल तोल के कारण देश में कई उचित मूल्य की दुकानें लाभार्थियों के साथ धोखाधड़ी कर रही हैं;

(ङ) यदि हाँ, तो क्या सरकार धोखाधड़ी को रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तोल तराजू या मशीनों को अनिवार्य बनाने और उन्हें ईपीओएस उपकरणों के साथ एकीकृत करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): प्रौद्योगिकी आधारित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) सुधारों के एक भाग के रूप में, टीपीडीएस की पारदर्शिता में वृद्धि करने और इसकी दक्षता में सुधार करने के उद्देश्य से, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राशन कार्डों/लाभार्थियों के डाटाबेस को पूरी तरह से (100%) डिजिटीकृत कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, खाद्यान्नों के वितरण को उचित प्रकार से ट्रैक करने के लिए, देश में कुल 5.43 लाख उचित दर दुकानों (एफपीएस) में से लगभग 5.41 लाख (99.6%) उचित दर दुकानों को ईपीओएस डिवाइस संस्थापित कर स्वचालित किया गया है, ताकि लाभार्थियों के बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पारदर्शी तरीके (इलेक्ट्रॉनिक रूप से) से खाद्यान्नों का वितरण किया जा सके।

(ख) और (ग): भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) वास्तविक समय में भंडारण क्षमता और स्टॉक की स्थिति जानने के लिए डिपो ऑनलाइन प्रणाली (डीओएस) का उपयोग कर रहा है।

...2/-

विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) द्वारा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग(डीएफपीडी) के सहयोग से कार्यान्वित स्मार्ट वेयरहाउस प्रायोगिक परियोजना सरकारी गोदामों में आईओटी तकनीक का उपयोग करती है,ताकि खाद्यान्न हानि कम से कम हो। निगरानी मापदंडों में तापमान, आर्द्रता, गैस का स्तर, वायु प्रवाह और अनधिकृत पहुँच, कृंतक एवं कीट गतिविधि जैसी घटनाएं शामिल हैं। यह प्रायोगिक परियोजना एफसीआई गोदामों में चरणबद्ध तरीके से चालू है।

इसके अलावा, एफसीआई में भंडारण सुविधाओं के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण के प्रयासों में डिपो दर्पण पोर्टल भी शुरू किया गया है। यह पोर्टल एफसीआई डिपुओं (स्वयं के और किराए पर लिए गए) के स्व-मूल्यांकन, रेटिंग और ग्रेडिंग की सुविधा प्रदान करता है।

(घ) से (च): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) की धारा 12 (ख) में अन्य बातों के साथ-साथ, "सभी स्तरों पर लेन-देन का पारदर्शी रिकॉर्ड सुनिश्चित करने और डायवर्जन को रोकने के लिए संपूर्ण कम्प्यूटरीकरण सहित सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपकरणों के अनुप्रयोग" का प्रावधान है। तदनुसार, पात्र लाभार्थियों को उचित मात्रा में खाद्यान्न वितरित करने और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से इलेक्ट्रॉनिक तौल तराजू को इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल्स (ईपीओएस) उपकरणों के साथ एकीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त ई-पीओएस उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक तौल तराजू से जोड़ने की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:-

विवरण	**राज्यों की संख्या**	**राज्यों का नाम**
एकीकृत	7	आंध्र प्रदेश, मेघालय, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल
आंशिक रूप से एकीकृत	4	छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, तमिलनाडु
एकीकृत नहीं	23	अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव, लक्षद्वीप, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख
लागू नहीं	2	चंडीगढ़, पुददुचेरी (यह अधिनियम डीबीटी नकद पद्धति से क्रियान्वित किया जा रहा है)।

*****